भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 106

03.02.2025 को उत्तर के लिए

होलोंगापार गिब्बन वन्यजीव अभयारण्य में अन्वेषणात्मक ड्रिलिंग को मंजूरी

106. श्री ससिकांत सेंतिल :
श्री प्रद्युत बोरदोलोई :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या होलोंगापार गिब्बन वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्र के भीतर तेल और गैस के लिए अन्वेषणात्मक ड्रिलिंग को मंजूरी दे दी गई है;

(ख) यदि हां, तो अन्वेषणात्मक ड्रिलिंग चरण के दौरान अभयारण्य की जैव-विविधता के संरक्षण के लिए कौन-कौन से विशिष्ट पर्यावरणीय सुरक्षोपाय किए गए हैं;

(ग) क्या परियोजना के दौरान पर्यावरणीय जोखिमों को कम करने के लिए राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (एनबीडब्ल्यूएल) द्वारा किन्हीं विशिष्ट शर्तों की सिफारिश की गई है और यदि हां, तो उक्त सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या परियोजना को स्वीकृति प्रदान करने से पूर्व सरकार अथवा इसमें शामिल फर्म द्वारा कोई सार्वजनिक परामर्श किया गया था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार ने अभयारण्य को निकटवर्ती डिसोई आरक्षित वन से जोड़ने पर परियोजना के प्रभाव के संबंध में कोई अध्ययन कराया है और यदि हां, तो इसे कम करने के लिए क्या उपाय किए जाने का विचार है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (ग) राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति ने दिनांक 21 दिसंबर 2024 को हुई अपनी 81वीं बैठक में असम के जोरहाट जिले के होलोंगापार गिब्बन वन्यजीव अभयारण्य के पारि-संवेदी ज़ोन (ईएसजेड) में 4.4998 हेक्टेयर क्षेत्र में तेल और गैस अन्वेषण ड्रिलिंग के प्रस्ताव की संस्तुति करने का निर्णय लिया। उक्त प्रस्ताव की निम्नलिखित शर्तों के साथ संस्तुति की गई है :

(i) उपयोगकर्ता एजेंसी, ड्रिलिंग प्रचालन शुरू होने से पहले नियंत्रक डीजीएच/एसपीसीबी और वन विभाग को सामग्री सुरक्षा डेटा शीट सहित अन्वेषण ड्रिलिंग प्रचालनों की संपूर्ण योजना प्रस्तुत करेगी।

(ii) एसपीसीबी और वन विभाग, प्रचालनों पर प्रत्यक्ष नियंत्रण और निरंतर सतर्कता सुनिश्चित करेंगे और डीजीएच सभी नियंत्रणों और प्रचालनों का पर्यवेक्षण करेगा।

(iii) उपयोगकर्ता एजेंसी, सभी नियंत्रकों (डीजीएच/एसपीसीबी/वन विभाग) द्वारा सभी प्रचालनों की वास्तविक समय पर निगरानी को सक्षम बनाने के लिए सीसीटीवी डीएसएस (डिजिटल वीडियो निगरानी प्रणाली) संस्थापित करेगी।

(iv) पीसीबी मानदंडों का किसी भी प्रकार का उल्लंघन होने के परिणामस्वरूप, परियोजना के प्रचालन का तत्काल निलंबन और समापन कर दिया जाएगा तथा परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाइयां की जाएंगी।

(v) निर्माण-स्थल में कोई रिजर्व पाए जाने के मामले में ईएसजेड क्षेत्र के भीतर किसी भी प्रकार के तेल/गैस के निष्कर्षण की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(vi) उपयोगकर्ता एजेंसी, वृक्षों की न्यूनतम कटाई सुनिश्चित करेगी। वन्य पशुओं और उनके पर्यावासों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाला जाएगा।

(vii) उपयोगकर्ता एजेंसी, परियोजना के क्रियान्वयन के कारण तेल और गैस रिसाव या कुएं के विस्फोट जैसी आपदाओं सहित होने वाले सभी प्रकार के प्रदूषण के नियंत्रण हेतु पर्याप्त उपाय करेगी।

(viii) उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा ईएसजेड में परियोजना के तहत प्रस्तावित कार्यकलापों के प्रभाव के उपशमन संबंधी उपायों को कार्यान्वित करने की लागत की समतुल्य राशि जमा की जाएगी, जिसका मुख्य वन्यजीव वार्डन द्वारा इस मंत्रालय के फा. सं. 6-30/2019- डब्ल्यूएल, दिनांक 13.12.2023 के माध्यम से जारी दिशानिर्देशों के अनुसार उपयोग किया जाएगा।

(ix) उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा राज्य मुख्य वन्य जीव वार्डन को विनिर्दिष्ट शर्तों के संबंध में एक वार्षिक अनुपालन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाएगा और राज्य मुख्य वन्यजीव वार्डन द्वारा सरकार को एक वार्षिक अनुपालन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाएगा।

(घ) अपतटीय और तटवर्ती तेल और गैस अन्वेषण से संबंधित सभी परियोजनाओं को पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 के तहत 'ख2' परियोजनाओं के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसके अंतर्गत उन्हें ईआईए रिपोर्ट और जन परामर्श की अपेक्षा से छूट दी गई है।

(ङ) राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति द्वारा दिनांक 09 अक्टूबर, 2024 को हुई अपनी 80वीं बैठक में लिए गए निर्णय के आधार पर मंत्रालय द्वारा एक निर्माण-स्थल निरीक्षण समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने निर्माण-स्थल निरीक्षण किया और नोट किया कि सितंबर, 2019 में मंत्रालय द्वारा अधिसूचित होलोंगापार गिब्बन वन्यजीव अभयारण्य के आसपास ईएसजेड में डिसोई घाटी का आरक्षित वन भी शामिल है। ईएसजेड अधिसूचना के अनुसार, कतिपय कार्यकलापों को निषिद्ध, विनियमित और अनुमत के रूप में वर्गीकृत किया गया है। डिसोई आरक्षित वन वाले ईएसजेड में निषिद्ध और विनियमित कार्यकलापों के वर्गीकरण का प्रयोजन, अभयारण्य पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों का उपशमन करना है।

*****